न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

मु.नं. 33/2016/दावा

1.रामदेव पुत्र भैरूंराम जाति गुर्जर
2.भगवाना पुत्र भैरूंराम जाति गुर्जर
3.देवी सिंह पुत्र घीसूसिंह
4.सुप्यार कंवर पुत्री देवीसिंह
5.नंदाराम पुत्र मांगूसिंह
6.नारायण सिंह पुत्र मांगूसिंह
7.सुरेन्द्रसिंह पुत्र मांगूसिंह
8.ओमसिंह पुत्र मांगूसिंह
9.विनोदसिंह पुत्र मांगूसिंह

समस्त निवासी ग्राम रामजीपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

10.मोहनसिंह पुत्र फूसासिंह जरिये मुख्त्यार नंदाराम पुत्र मांगूराम
11.ग्यारसी पत्नि घींसाराम
12.आंचीदेवी पत्नि नारायण
13.गुलाबी पत्नि बंशीधर

जाति जाट निवासीगण रामजीपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—वादीगण

ब ना म

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर ।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 136 भू रास्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील वादीगण की ओर से ।
2. श्री प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही ।

निर्णय

दिनांकः 15.09.2016

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त सम्पदा खसरा नम्बर 187 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबार 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 221 रकबा 2.36 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.44 हैक्टर जो वाके ग्राम रामजीपुरा पटवार मण्डल चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उपरोक्त कृषि भूमियों की खातेदारी संवत 2057—2060 तक रामू, भगवाना, सीताराम पुत्र मूला ज्यानकी पत्नि मूला हिस्सा 1/7, मोहन, प्रहलाद, लालू पुत्रगण फूसा, हस्तु बेवा फूसा हिस्सा 6/7 हिस्सा बराबर दर हिस्सा 1/2, देवीसिंह पुत्र घींसूसिंह हिस्सा 1/2 दर्ज थी जो सही था । किन्तु खातेदार लालू पुत्र फूसा 1/4 हस्तु हिस्सा 1/14 में से 5/84 का विक्रय रामदेवा,भगवाना पुत्रगण भैरूंराम को किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 05.06.2002 भरा गया जो सही था तथा मंशा पुत्र फूसा फौत होने पर

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

Scanned with CamScanner

उनकी विरासत का खाता मांगू पुत्र फूसा के नाम भरा गया जो सही था इसके पश्चात नामान्तकरण संख्या 272 दिनांक 03.01.2005 के द्वारा खसरा नम्बर 218, 219, 221 में मोहन पुत्र फूसा का हिस्सा 1/14 की जगह मांगू पुत्र फूसा के नाम दर्ज हो गया परन्तु खसरा नम्बर 187 रकबा 1.37 में मोहन पुत्र फूसा का हिस्सा 1/14 बरकरार रहा है नामान्तकरण सही भरा गया किन्तु जमाबन्दी में अमल सम्पूर्ण खसरा नम्बरान का कर दिया गया जो कि गलत किया गया । नामान्तकरण संख्या 273 के द्वारा खसरा नम्बर 218, 219, 221 किता 3 कुल रकबा 4.07 हैक्टर में रामू, भगवाना, सीताराम व ज्यानकीदेवी का हिस्सा 1/14 की जगह रामदेव, भगवाना के नाम दर्ज हुआ तथा खसरा नम्बर 219, 221 किता 2 कुल रकबा 2.42 हैक्टर में हस्तु का हिस्सा 5/84 में से 1/14 का विकय होने पर रामदेव, भगवाना के नाम दर्ज हुई हस्तु का शेष हिस्सा 15/36 बदस्तूर जारी रहा । संवत 2061'2064 में खातेदारी रामू, भगवाना, सीताराम पुत्रगण मूला, ज्यानकी देवी पत्नि मूला हिस्सा 1/14, मंशा, मांगू, मोहन, प्रहलाद पुत्र फूसा हिस्सा 2/7 हस्तु बेवा फूसा हिस्सा 5/84, लालू पुत्र फूसा हिस्सा 1/42, रामदेव, भगवाना पुत्र भैरूं हिस्सा 5/84, देवीसिंह पुत्र घींसा हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज थी जो सही थी । नामान्तकरण संख्या 310 के द्वारा खसरा नम्बर 218, 219 किता 2 कुल रकबा 1.71 हैक्टर लालू पुत्र प्रहलाद का हिस्सा 1/2 व खसरा नम्बर 219 रकबा 0.58 हैक्टर में से हस्तु का हिस्सा 15/336 का विकय रूकमादेवी व कमलादेवी को किया गया जिसका नामान्तकरण सही भरा गया , नामान्तकरण संख्या 310 के द्वारा खसरा नम्बर 137 में से मांगू पुत्र फूसा का हिस्सा 3/14 सम्पूण व देवीसिंह का हिस्सा 1/2 में से 3/7 यानि सम्पूण में से 3/14 इस प्रकार सम्पूर्ण खसरा मुं से 4/14 हिस्सा की खातेदारी संतीदेवी को प्राप्त हो गई । नामान्तकरण संख्या 310 के द्वारा ही खसरा नम्बर 187 रकबा 1.37 में से प्रहलाद का हिस्सा 1/42 की खातेदारी रामू, भगवाना, सीताराम व ज्यानकी के नाम से दर्ज हुई । नामान्तकरण संख्या 310 के द्वारा देवीसिंह का हिस्सा 2/7 में से यानि 19/42 का सम्पूर्ण की खातेदारी रूकमादेवी, कमलादेवी, शोभादेवी के नाम दर्ज है व खसरा नम्बर 187 रकबा 1.37 हैक्टर में से भागू का हिस्सा 3/14 का विकय किया गया जबकि मांगू का हिस्सा 2/14 ही शेष बचा था । नामान्तकरण संख्या 331 के द्वारा खसरा नम्बर 221 रकबा 2.56 हैक्टर में से हस्तु का हिस्सा 15/336, प्रहलाद का हिस्सा 1/42, लालू का हिस्सा 1/42, यानि कुल हिस्सा 31/336 सुप्यार कंवर के नाम दर्ज हुआ । नामान्तकरण संख्या 456 की द्वारा भागू की विरासत उसके वारिशान के नाम दर्ज हुई । नामान्तकरण संख्या 580 के द्वारा खसरा नम्बर 218 रकबा 1.15 हैक्टर में से हिस्सा 1/12 व खसरा नम्बर 219 रकबा 0.56 हैक्टर में से 23/336, खसरा नम्बर 136 में से 19/42 हिस्सा ग्यारसी के नाम दर्ज हुई नामान्तकरण में अंकन सही था परन्तु जमाबन्दी बनाते समय अलग अंकन हो गया । इस प्रकार संवत 2065–68 के अनुसार ही नई जमाबन्दी संवत 2069–72 में अंकन दुरूत किया जावे ।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ किन्तु प्रतिवादी की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया इसलिए प्रतिवादी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

Scanned with CamScanner

3. दावे की प्रति तहसीलदार दांतारामगढ को भिजवाकर रिपोर्ट चाही गई । तहसीलदार दांतारामगढ ने अपने पत्र कमांक 2997 दिनांक 22.08.2016 से रिपोर्ट भिजवाई है कि जमाबन्दी संवत 2057–60 के अनुसार खातेदार रामू, भगवाना, सीताराम पुत्र मूला, ज्यानकी बेवा मूला हिस्सा 1/7,मंशा, मांगू, मोहन,प्रहलाद, लालू पुत्र फूसाराम हिस्सा 6/7 हिस्सा बराबर हिस्सा दर हिस्सा 1/2 जाति दरोगा व देवीसिंह पुत्र घींसूसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत के नाम जमाबन्दी बनी तब दर्ज थी उसके बाद नामान्तकरण संख्या 151 के द्वारा लालू पुत्र फूसा हिस्सा 1/7 हस्तू बेवा फूसा हिस्सा 1/7, दर हि. 1/2 के द्वारा विकय करने पर लालू के हिस्सा 1/14 में से 2/3 यानि सम्पूर्ण में से 1/84 यानि 5/84 के नाम दर्ज हुआ । नामान्तकरण संख्या 271 के द्वारा मंशा पुत्र फूसा की विरासत से से हिस्सा 1/14 के स्थान पर मांगू पुत्र फूसा पंचायत द्वारा अकेले के नाम हिस्सा 1/14 दर्ज हुआ नामान्तकरण संख्या 272 दिनांक 3.01.2015 के द्वारा खसरा नम्बर 218, 219, 221 किता 3 कुल रकबा 4.07 हैक्टर में मोहन पुत्र फूसा हिस्सा 1/14 के स्थान पर मांगू पुत्र फूसा पंचायत द्वारा अकेले के नाम हिस्सा 1/14 दर्ज हुआ । नामान्तकरण संख्या 272 दिनांक 03.01.2015 के द्वारा खसरा नम्बर 218, 219, 221 किता 3 कुल करबा 4.07 हैक्टर में मोहन पुत्र फूसा हिस्सा 1/14 के स्थान पर मांगू पुत्र फूसा हिस्सा 1/14 दर्ज हुआ तथा खसरा नम्बर 218 में हस्तू बेवा फूसा हिस्सा 5/84 के स्थान पर मागू पुत्र फूसा हिस्सा 5/84 दर्ज हुआ । नामान्तकरण संख्या 273 दिनांक 03.01.2005 विकय पत्र के द्वारा खसरा नम्बर 218, 219, 221 किता 3 कुल करबा 4.07 हैक्टर में से रामू, भगवाना, सीताराम पुत्र मूला, ज्यानकी बेवा मूला हिस्सा 1/14 के स्थान पर रामदेव भगवाना पिता भैरूं जाति गुर्जर व खसरा नम्बर 219, 221 किता 2 कुल रकबा 2.92 हैक्टर में से हस्तु के हिस्से 5/84 में से 1/4 विकय होने पर सम्पूर्ण में से 5/336 हिस्सा रामदेव, भगवाना पिता भैरूं के नाम दर्ज हुआ शेष हिस्सा 15/336 हस्तू बेवा फूसा बदस्तूर रहा । जमाबन्दी संवत 2061–64 के अनुसार खातेदारी रामू, भगवाना, सीताराम पुत्र मूला, ज्यानकी बेवा मूला हिस्सा 1/14, मंशा,मांगू,मोहन,प्रहलाद पुत्र फूसा हि. 2/7 हस्तु बेवा फूसा हि. 5/84, लालू पुत्र फूसा हि.1/42, जाति दरोगा, रामदेवाराम, भगवाना राम पुत्र भैरूं जाति गुर्जर हिस्सा 5/84 हि. बराबर, देवीसिंह पुत्र घींसूसिंह हि. 1/2 कोम राजपूत सा.देह खातेदार के नाम जमाबन्दी बनी हुई जब दर्ज हुई है तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 310 के द्वारा खसरा नम्बर 187, 218, 219, 221 किता 4 कुल रकबा 5.44 हैक्टर में से प्रहलाद पुत्र फूसा हिस्सा 1/14 में से 2/3 यानि सम्पूर्ण में से 1/21 व हस्तू बेवा फूसा हिस्सा 1/14 में से 1/6 यानि सम्पूर्ण में से हिस्सा 1/84, रामदेव, भगवाना पुत्र भैरूं जाति गुर्जर का नाम दर्ज हुआ जबकि खसरा नम्बर 219, 221 किता 2 कुल रकबा 2.92 हैक्टर हस्तू की खातेदारी 15/336 दर्ज है व खसरा नम्बर 218 में हस्तू बेवा फूसा का सम्पूर्ण हिस्सा पूर्व में ही 1/84 बेचान व हिस्सा 5/84 हकत्याग किया जा चुका है । खसरा नम्बर 187 में हस्तू का हिस्सा 1/14 दर्ज है । नामान्तकरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

310 के द्वारा ही खसरा नम्बर 218, 219 किता 2 कुल रकबा 1.71 हैक्टर लालू, प्रहलाद के हिस्सा 1/21 व खसरा नम्बर 219 रकबा 0.56 हैक्टर में से हस्तू के हिस्सा 15/336 व खसरा नम्बर 218 रकबा 1.15 हैक्टर हस्तू का हिस्सा 5/84 का बेचान श्रीमति रूकमा देवी पत्नि भूदाराम, कमलादेवी पत्नि गणेशराम, शोभादेवी पत्नि श्रवण जाति जाट के नाम व नामान्तकरण संख्या 310 के द्वारा खसरा नम्बर 187 रकबा 1.37 हैक्टर में से मांगू पुत्र फूसा का हिस्सा 3/14 सम्पूर्ण व देवीसिंह के हिस्सा 1/2 में 3/7 यानि सम्पूर्ण में से 3/14 इस प्रकार हिस्सा 6/14 सम्पूर्ण का बेचान श्रीमति संतीदेवी पत्नि मांगूराम जाति जाट को किया गया । तथा नामान्तकरण संख्या 310 के द्वारा ही खसरा नम्बर 187 रकबा 1.37 हैक्टर में से प्रहलाद का हिस्सा 1/42 लालू का हिस्सा 1/42 हस्तू का हिस्सा 1/21 रामू, भूगवाना, सीताराम पुत्र मूला, ज्यानकी बेवा मूला हिस्सा 1/14, देवीसिंह का हिस्सा 2/7 यानि 19/42 का बेचान श्रीमति रूकमादेवी पत्नि भूदाराम, कमलादेवी पत्नि गणेशराम, शोभादेवी पत्नि श्रवण कुमार को किया गया जबकि खसरा नम्बर 187 रकबा 1.37 में मांगू पुत्र फूसा द्वारा हिस्सा 3/14 बेचान है जबकि मांगू का हिस्सा 2/14 ही बनता है । नामान्तकरण संख्या 311 के द्वारा खसरा नम्बर 221 रकबा 2.36 हैक्टर में से हस्तू बेवा फूसा का हिस्सा 15/336 प्रहलाद का हिस्सा 1/42 लालू का हिस्सा 1/42 यानि कुल हिस्सा 31/336 सुप्यार कंवर पत्नि देवीसिंह के नाम दर्ज किया गया । नामान्तकरण संख्या 436 के द्वारा मांगूराम की विरासत कमला कंवर बेवा मांगूराम, नन्दाराम, नारायण सिंह, सुरेन्द्रसिंह, ओमासिंह, विनोदसिंह पुत्र मांगूराम के नाम दर्ज हुई । नामान्तकरण संख्या 580 के द्वारा खसरा नम्बर 218 रकबा1.15 हैक्टर में से 1/12 व खसरा नम्बर 219 रकबा 0.56 हैक्टर में से 23/336 खसरा नम्बर 187 रकबा रकबा 1.37 हैक्टर में से 19/42 हिस्सा का बेचान रूकमा पत्नि भूदाराम, कमलादेवी पत्नि गणेशराम, शोभादेवी पत्नि श्रवण के स्थान पर ग्यारसीदेवी पत्नि घींसाराम जाति जाट निवासी भोजपुर का अंकन है नामान्तकरण संख्या 310 दुरूस्ती योग्य है ।

4. बहस वकील वादी सुनी गई । वकील वादी ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों एवं को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबार 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 221 रकबा 2.36 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.44 हैक्टर जो वाके ग्राम रामजीपुरा पटवार मण्डल चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उपरोक्त कृषि भूमियों की खातेदारी संवत 2057–2060 तक सही थी किन्तु इसके बाद की जमाबन्दी में खातेदारी के हिस्सों का गलत अंकन हो गया जिसे दुरूत किया जावे । तहसीलदार ने पिछले रेकार्ड को देखकर दुरूस्ती योग्य रिपोर्ट भिजवाई है । हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। ग्राम रामजीपुरा प.मंडल चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2069–2072 के खसरा नम्बर 187 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबार 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 221 रकबा 2.36 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.44 हैक्टर में तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :–

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	संवत 2057–60 के अनुसार खातेदारी	अब शुद्वि के बाद दर्ज होने वाली खातेदारी
1.	187	1.37	रामू, भगवाना, सीताराम पिता मूला, ज्यानकी बेवा मूला, हिस्सा 1/7, मन्शा, मांगू, मोहन, प्रहलाद, लालू पिता फूसा, हस्तु बेवा फूसा हि. 6/7, हि. बराबर दर हिस्सा 1/2, जाति दरोगा व देवीसिंह पुत्र घींसूसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत सा. देह	रामदेव, भगवाना पिता भैरूं जाति गुर्जर हि.ब.हि. 10/84, आंचीदेवी धर्मपत्नि नारायण, गुलाबीदेवी धर्मपत्नि बंशीधर, जाति जाट हि.ब. हि. 5/14, श्रीमति ग्यारसीदेवी धर्मपत्नि श्री घीसाराम जाति जाट हि. 19/42, मोहन पुत्र फूसा हि. 1/14 जाति दरोगा सा. देह ।
2.	218	1.15	रामू, भगवाना, सीताराम पिता मूला, ज्यानकी बेवा मूला हि. 1/7, मन्शा, मांगू, मोहन, प्रहलाद, लालू पिता फूसा, हस्तु बेवा फूसा हि. 6/7 हि. बराबर दर हिस्सा 1/2 जाति दरोगा व देवीसिंह पुत्र घींसूसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत सा. देह	रामदेव, भगवाना पिता भैरूं जाति गुंर्जर हि. ब. हि. 16/84, कमलाकंवर पत्नि मांगूराम, नन्दाराम, नारायणसिंह, सुरेन्द्रसिंह,ओमसिंह, विनोदसिंह पुत्रगण मांगूराम हि.ब.हि. 22/84, श्रीमति ग्यारसीदेवी धर्मपत्नि घीसाराम जाति जाट हि. 4/84, देवीसिंह पुत्र घींसूसिंह जाति राजपूत हि. 1/2 सा. देह ।
3.	219	0.56	रामू, भगवाना, सीताराम पिता मूला, ज्यानकी बेवा मूला हि. 1/7, मन्शा, मांगू, मोहन, प्रहलाद, लालू पिता फूसा, हस्तु बेवा फूसा हि. 6/7, हि. बराबर दर हिस्सा 1/2, जाति दरोगा व देवीसिंह पुत्र घीसूसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत सा. देह	रामदेव , भगवाना पिता भैरू जाति गुर्जर हि.ब..हि. 69/336, कमलाकंवर पत्नि मांगूराम, नन्दाराम, नारायणसिंह, सुरेन्द्रसिंह, ओमसिंह, विनोदसिंह पुत्रगण मांगूराम हि.ब.हि.18/84, श्रीमति ग्यारसीदेवी धर्मपत्नि घीसाराम जाति जाट हि. 27/336, देवीसिंह पुत्र घींसूसिंह जाति राजपूत हि. 1/2 सा. देह
4.	221	2.36	रामू, भगवाना, सीताराम पिता मूला, ज्यानकी बेवा मूला हि. 1/7, मन्शा, मांगू, मोहन, प्रहलाद,लालू पिता फूसा, हस्तु बेवा फूसा हि. 6/7, हि.बराबर दर हिस्सा 1/2 जाति दरोगा व देवीसिंह पुत्र घींसूसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत सा.देह	रामदेव,भगवाना पिता भैरूं जाति गुर्जर हि.ब.हि. 69/336, कमला कंवर पत्नि मांगूराम, नन्दाराम, नारायणसिंह, सुरेन्द्रसिंह, ओमसिंह, विनोदसिंह पुत्रगण मांगूराम हि.ब.. हि. 18/84, सुप्यारकंवर धर्मपत्नि देवीसिंह हि. 27/336, देवीसिंह पुत्र घींसूसिंह जाति राजपूत हि. 1/2 सा.देह ।

यह आदेश आज दिनांक 15.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned with CamScanner